न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास पंकज गढ़वाल (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या : 24 सन् 2020

निर्णय दिनांक – 12.2.2021

1. शीशराम
2. होशियार सिंह } पुत्रगण फूलचंद जाति स्वामी निवासीगण कान्धरान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, राजगढ़ जिला चूरू

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री सुभाषचन्द्र सुडा अधिवक्ता – वास्ते प्रार्थीगण

पैरोकार राज – अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि – प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस न्यायालय में अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया कि – कृषि भूमि हाल खाता सं. 229 खसरा सं. 198 तादादी 8.20 हैक्टेयर वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि ही विवादित कृषि भूमि है। वास्ते अवलोकन जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में स्थित अपने अपने हक हिस्सा को प्रार्थीगण काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

काश्त व जोत करते व फसल उत्पादन करते आ रहे है व बिना बाधा के उपयोग उपभोग काबिज काश्तकार रह कर करते आ रहे है। लेकिन प्रार्थीगण के खेत पड़ौसियान नें उक्त विवादित कृषि भूमि में स्थित प्रार्थीगण के हक हिस्साका की कृषि भूमि की चारो सीमाओं को दबाकर उक्त सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाह रहे है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तौड़कर सीमा विवाद बनाये हुये है। इस कारण प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण नें कई बार स्वंय भी तथा अन्य लोगों से भी खेत पड़ौसियान को काफी कहा व कहलवाया कि वे प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तौड़कर सीमा विवाद कायम ना करे तथा सीमा को दबाने का प्रयास ना करे तथा पुख्ता सीमाचिन्ह कायम कराकर सीमाज्ञान करवा लेनें देवे व प्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद ना बनाये रखे लेंकिन इन लोगो ने ऐसा करने व कराने से दिनांक 23.11.2020 को ब मुकाम कान्धराण में साफ इंकार कर दिया व अभी तक सीमा विवाद बनाया हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण नें उक्त कृषि भूमि में स्थित अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवानें हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय, राजगढ़ जिला चूरू के समक्ष आवेदन भी पेश किया है लेकिन खेत पड़ोसियान इसके बावजूद सीमा विवाद बनाये हुए है। सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी न्यायहित में आवश्यक है। जिससे कि शांतिपूर्ण वातावरण बना रहें। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये कृषि भूमि हाल खाता सं. 229 खसरा सं. 198 तादादी 8.20 हैक्टेयर वाके रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू की चारो सीमाओं का सीमाज्ञान करवानें हेतु योग्य पटवारियों की टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जावे व पत्थरगढ़ी करनें के आदेश फरमाये जावे। अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी नें राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावंली पर प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2074 – 2077 खाता सं. 229 रोही कान्धराण, खसरा मिलान क्षेत्रफल रोही कान्धरान, खतौनी रोही कान्धरान, फर्द मौका हल्का पटवारी दिनांक 10.11.2020 व

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

नकल मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी से कृषि भूमि खाता सं. 229 ख0नं0 198 तादादी 8.20 हैक्टेयर वाके रोही कान्धरान, तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रार्थीगण की बहिस्सा बराबर सह खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण के खेत के चारों ओर की सीमाओं के सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढ़ी किये जानें में अप्रार्थी पैरोकार राज नें राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है व कोई ऐतराज नही किया है तथा ना ही अप्रार्थी पैरोकार राज द्वारा कोई खंड़न या विरोध प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही कान्धराण तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित प्रार्थीगण की बहिस्सा बराबर सह खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 229 ख0नं0 198 तादादी 8.20 हैक्टेयर की मौका पर पैमाईश कर पुख्ता सीमा चिह्न पैमाईश के मुताबिक कायम करवाकर चारों ओर की सीमा पर पुख्ता पत्थर गढ़ी करवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से आदेश की पालना यथाशीघ्र करवाई जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)